प्रेस नोट दिनाँक-03.07.2022

(1). दिनाँक-02.07.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). आज दिनांक 03.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गया।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त इष्टदेव पाण्डेय उर्फ पनसुख्खी पुत्र राधेश्याम निवासी छिवलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. आरक्षी हृदेश कुमार

(4) श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वारण्टी व 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(a). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या थाना मऊ तथा उनके हमराही आरक्षी ज्ञान सिंह द्वारा मु0नं0 4115/12 धारा 457/338/411 भादवि के वारण्टी रामबाबू पाण्डेय पुत्र करन प्रसाद पाण्डेय निवासी अहीरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(b). उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ तथा उनके हमराही आरक्षी हृदेश कुमार द्वारा मु0नं0 2656/13 धारा 337/338/304ए भादवि के वारण्टी अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र गंगाराम निवासी पटोरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(c). उ0नि0 श्री सूबेदार बिंद थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी विजय कुमार पटेल द्वारा मु0अ0सं0 116/22 धारा 354/504 भादवि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त श्री केशन पुत्र देवराज निवासी रुपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(d). वरि0उ0नि श्री योगेश कुमार तिवारी थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी मनोज एवं आरक्षी अजहर द्वारा मु0नं0 2892/20 धारा 05/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त हनुमानदीन पुत्र शिवशंकर उर्फ बुद्दा बढ़ई निवासी रम्पुरिया मजरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूटट को गिरफ्तार किया गया।

(e). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राकेश मौर्य तथा उनके हमराही आरक्षी टीम द्वारा के एस0टी0 नं0 09/2021 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बुद्धविलास यादव पुत्र स्व0 गजराज निवासी भभई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(f). उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी अजीत यादव व आरक्षी नन्दलाल द्वारा एसटीनं0 938/2017 धारा 04/10 वन अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त जगन्नाथ गुप्ता पुत्र कामता निवासी खजुरिहा कलां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(g). उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 216/2012 धारा 504/506/306 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजा भैया पुत्र रामाधार निवासी ड्यौढी टोला तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(h). थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त श्याम बिहारी मिश्रा पुत्र अवधेश मिश्रा निवासी कुचौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना बरगढ़ तथा उनकी टीममु0अ0सं0 46/2014 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त तीरथ पाल पुत्र बाबूलाल निवासी मुझवा का पुरवा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा किये जा रहे मानवीय कार्यों के क्रम में थाना पहाड़ी में नियुक्त उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह तथा उ0नि0 श्री राहूल पाण्डेय कल मध्य रात्रि में गश्त कर रहे थे, इस दौरान नांदी चौराहे कस्बा पहाड़ी में उन्हे एक एंड्राइड वीवो y 20 मोबाइल बरामद हुआ जो रास्ते में पड़ा था। उ0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह द्वारा मोबाइल स्वामी के जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि बरामदशुदा मोबाइल शिवचंद पुत्र मुन्नीलाल श्रीवास निवासी पहाड़ी बुजुर्ग का है जिन्हे थाना पर बुलाकर पूछताछ के उपरांत मोबाइल धारक को मोबाइल सुपुर्द किया गया। इस प्रकार उ0नि श्री जनार्दन प्रताप सिंह एवं उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय द्वारा मानवता की मिशाल पेश करते हुये मोबाइल स्वामी के चेहरे पर ख़ुशी लौटायी। मोबाइल स्वामी द्वारा पुलिस की प्रसंशा करते हुये धन्यवाद दिया गया।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री अनिल कुमार के मार्गदर्शन में थाना मारकुण्डी में महिला हेल्पडेस्क पर नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पति-पत्नी के आपसी विवाद को समाप्त कराते हुए पति पत्नी में सुलह करवाकर परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि सुनील रैदास निवासी छेरिया खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी श्रीमती पत्नी रेनू झगड़ा करके मायके ग्राम दल दल थाना रामपुर जनपद रीवा म0प्र0 चली गयी है आ नहीं रही । थानाध्यक्ष मारकुण्डी द्वारा महिला हेल्पडेस्क में नियुक्त महिला आरक्षियों को प्रकरण के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। महिला हेल्प हेस्क में नियुक्त महिला आरक्षियों द्वारा जरिये दूरभाष संपर्क करके थाना मारकुण्डी बुलाया गया तथा थाने पर बुलाकर बात सुनी गयी। श्रीमती रेनू एवं उनके पति श्री सुनील रैदास को समझाते हुए भविष्य लड़ाई झगड़ा न करने की बात कही गयी। दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लिया गया है। महिला हेल्पडेस्क की पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों को भविष्य में लड़ाई झगड़ा न करने हेतु तथा आपस में समन्वय बनाकर रहने एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों का निर्वहन करने की सलाह दी गयी।

<u>समझौता करवाने वाली टीमः-</u>

1. महिला आरक्षी रूबी थाना मारकुण्डी

2. महिला आरक्षी दीपिका थाना मारकुण्डी

(6). पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराकर परिवार को टूटने से बचाया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह द्वारा पति-पत्नी के आपसी विवाद को समाप्त कराते हुए शादी के पवित्र बंधन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती फूलकुमारी निवासी रगौली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री अश्विनी कुशवाहा निवासी बमरौली थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज उनके साथ लड़ाई झगड़ा करतें है। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर बात सुनी गयी। आवेदिका के पति अश्विनी कुशवाहा को समझाते हुए भविष्य लड़ाई झगड़ा न करने की बात कही गयी। दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लिए। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना द्वारा दोनों को भविष्य में लड़ाई झगड़ा न करने हेतु तथा आपस में समन्वय बनाकर रहने एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों का निर्वहन करने की सलाह दी गयी।

समझौता करवाने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह
2. आरक्षी अरविन्द्र कुमार
3. आरक्षी नीतू द्विवेदी
4. महिला आरक्षी स्वेता